

20.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डधिकारी
हनुमानगढ

